संख्या-76/2018/1546/सैंतीस-2-2018-1(26)/2013टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 मई, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद बरेली में पशु उत्थान (वर्ण संकर) केन्द्र योजनान्तर्गत नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र सं0-26(5)/यू.पी.एल.डी.बी./बी.सी./2018-19, दिनांक-09.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-30-जनपद बरेली में पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र के अन्तर्गत नई मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0-1054.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-370.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
02-मजदूरी	10.00
04-यात्रा व्यय	2.00
08-कार्यालय व्यय	2.00
09-विद्युत देय	30.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	150.00
39-औषधि तथा रसायन	30.00
42-अन्य व्यय	3.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	120.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00
योग-	**370.00**

(रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को यदि आहरित कर किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ का होगा।

(3) मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से क्रय किये जाने वाली सामग्री निर्धारित शासनादेशों में विहित व्यवस्था यथावश्यकता जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी। मानक मद 12 व 43 के संबंध में योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स), 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथावश्यकता जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(4) मानक मद 04 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल/यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-30-जनपद बरेली में पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-598/दस-2018, दिनांक-15.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-76/2018/1546(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in